

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, चोहटन, (बाड़मेर)
जिला - बाड़मेर
जाति प्रमाण - पत्र



समांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.)/18136897189
दिनांक: 24-08-2018
आवेदक का आधार नम्बर: 430289690924
आवेदक/परिवार के मुखिया का भामासाह कार्ड संख्या:

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपा राम पुत्र/पुत्री श्री देराज राम गांव/नगर आटिया जिला/डिवाीजन बाड़मेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 46 MEGHVAL (46 मेघवाल) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मुखिया (संशोधन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (जम्मू व काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा तथा संशोधित संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1950, संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (पॉण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1967, संविधान (पोण्डिचेरी तथा दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (संघ राज्य क्षेत्र) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970

श्री दीपा राम गांव/नगर आटिया जिला / डिवाीजन बाड़मेर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

- नोट
- यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ नहीं होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 से है।
 - राजस्थान सरकार के सामानिक न्याय अधिकारी विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
 - उपरोक्त प्रमाण-पत्र किडोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-टस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। टस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
 - प्राप्ति द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित टस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
 - यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के निवे मान्य है।
 - प्राप्ति को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापन किया जा सकता है। टोलन संख्या: 180142226888

उपखण्ड अधिकारी, चोहटन, बाड़मेर

Signat

Digitally signed by Y. DAV
BHUPENDRA KUMAR
Date: 2018.08.24 14:35:03
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



s 5104083

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, चोहटन, (बाडमेर)
जिला - बाडमेर
मूल निवास प्रमाण-पत्र



क्रमांक : RJ/2017/राजस्व विभाग/मूल निवास प्रमाण-पत्र/18136902497
दिनांक : 24-08-2018

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपा राम पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री देराज राम निवास - आटिया, राजस्थान का/की मूल निवासी है।

आज दिनांक 24-08-2018 को यह प्रमाण पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षर से प्रचलित किया गया।

नोट:

1. राजस्थान सरकार के गृह (पुत्र-9) विभाग की अधिसूचना संख्या प-15(1)32/गृह-9/61/पार्ट-2 दिनांक 17.12.2009 के द्वारा मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
2. राजस्थान सरकार के गृह (पुत्र-9) विभाग की अधिसूचना प-15(1)32/गृह-9/61/पार्ट दिनांक 28 अगस्त 2012 के द्वारा मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने की मान्यता प्रदान की है। इस परिपत्र के तहत निम्न कनेक्टर, उपखंड अधिकारी, महावक्ता जिलाधीश व तहसीलदार मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया हुआ है।
3. उक्त मूल निवास प्रमाण-पत्र वैयक्तिक और तकनीकी शिक्षा संस्थाओं से प्रवेश, योग्यता प्राप्ति के लिए आवेदन करने, लेम्प/राज्य सेवाओं में नियोजन इयोजनो एवं भूमि आदि के आवेदन इत्यादि के प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग में लाया जा सकता है।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेज मिले के संबंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. मूल निवास एक बार ही बनाया जायेगा। लेकिन प्रमाण-पत्र गम हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने पर दोहरा प्रति, प्रमाण-पत्र में राब या बत बदलने पर सम्बंधित प्रति तथा आयु प्रमाण के अनुसार रहमान के लिए नए फोटो के साथ नवीनीकृत प्रति (उक्त नवीनीकृत प्रमाण-पत्र दस वर्ष के उपरान्त ही किया जा सकेगा) बनवाया जा सकता है।
6. सभी प्रयोजनार्थ प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियाँ काम में ली जा सकती हैं।
7. प्रार्थी को जारी किये गये मूल निवास प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या: 180142232263

तहसीलदार, चोहटन, (बाडमेर)

Signat

Digitally signed by VIKAS
SINGH
Date: 2018.08.24 18:09:04
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan



5104084